समाहरणालय, मुंगेर

(जिला बाल संरक्षण इकाई)

विज्ञापन संख्या–02 / 2026

लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 एवं पॉक्सो नियम, 2020 के अंतर्गत निर्गत सहायक व्यक्तियों के लिए दिशा–निर्देश बिहार, 2026 के आलोक में सहायक व्यक्तियों (Support Person) को सूचीबद्ध करने हेतु योग्य आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है–

पद का नाम	पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव
सहायक व्यक्ति (Support Person)	SC/ST-02, SC/ST (Female)-01, BC/EBC-01, BC/EBC (Female)-01, Minority Community-01, Minority Community (Female) -01, General-02, General (Female)-01	सामाजिक कार्य (MSW)/समाजशास्त्र/ मनोवैज्ञान/बाल विकास या विधि में स्नातकोत्तर या बाल अधिकार/परामर्शन में डिप्लोमा के साथ किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री के साथ साथ 03 वर्ष का अनुभव।	बाल अधिकार/बाल संरक्षण/विधिक कार्य /सामाजिक कार्य/बाल मनोविज्ञान परामर्शदाता/समाजशास्त्र /मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का वाछनीय कार्य अनुभव।

1. आवेदक आवेदन के साथ सभी संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करते हुए '**सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, मुंगेर (किला परिसर, विकास भवन, जिला–मुंगेर पिन–811201)**' के कार्यालय में दिनांक **07.07.2026** तक जमा करेंगे।
2. सहायक व्यक्ति के लिए पात्रताः–
   - भारत का नागरिक हो।
   - मुंगेर जिले का निवासी हो।
   - उम्र सीमा न्यूनतम 30 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष होना है। आयु की गणना दिनांक 01.06.2026 के आधार पर की जाएगी।
   - अभ्यर्थी का पूर्ववर्ती इतिहास स्वच्छ होना चाहिए। इनके विरुद्ध भारत में कही भी अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं रहना चाहिए। वे कभी भी नैतिक दुराचार (Moral Turpitude) दोषी नहीं हों। इस आशय का उन्हें शपथ–पत्र समर्पित करना होगा।
   - बाल संरक्षण अथवा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी संस्थान से निष्कासित अथवा ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।
3. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 एवं पॉक्सो नियम, 2020 के अंतर्गत निर्गत सहायक व्यक्तियों के लिए दिशा–निर्देश बिहार, 2026 जिला के वेबसाईट (https://munger.nic.in/) पर उपलब्ध है।
4. सहायक व्यक्तियों का पारिश्रमिक प्रति मामला–9000/- रूपये का भुगतान किया जाना है।
5. सहायक व्यक्तियों का सूचीबद्ध लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 एवं पॉक्सो नियम, 2020 के अंतर्गत निर्गत सहायक व्यक्तियों के लिए दिशा–निर्देश बिहार, 2026 के आधार पर किया जाएगा।
6. विस्तृत जानकारी हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई, मुंगेर कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

12/06

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

आवेदन–पत्र

1. आवेदित पद का नाम :–.....
2. आवेदक/आवेदिका का नाम :–.....
   (क) हिन्दी में :–.....
   (ख) अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) :–.....
3. पिता/पति का नाम :–.....
4. माता का नाम :–.....
5. लिंग (पुरूष/महिला/अन्य) :–.....
6. जन्म तिथि :–.....

नवीनतम रंगीन स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

7. कोटि (गैर आरक्षित/अ0पि0वर्ग/पि0वर्ग0/अनु0जा0/अनु0ज0जा0/अल्पसंख्यक) :–.....
8. आधार कार्ड संख्या (छायाप्रति संलग्न करें) :–.....
9. मोबाईल न0 :–.....
10. e-mail id :–.....
11. स्थायी पता :–.....
    .....
    .....
12. पत्राचार का पता :–.....
    .....
    .....
13. शैक्षणिक योग्यता का विवरण (शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करे) :–

क्र0	शैक्षणिक योग्यता	बोर्ड/विश्वविधालय का नाम	विषय	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1.	मैट्रिक/समकक्ष (दसवां)						
2.	इन्टरमीडिएट/ (10+2)						
3.	स्नातक						
4.	स्नातकोत्तर						

14. क्या आपको कार्य का अनुभव है? (हाँ/नहीं) :– .....
    (यदि हा तो प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा अनुभव की अवधि उल्लेखित करें:–
    .....वर्ष .....महीना .....दिन)।

–:घोषणा :–

मैं ..... एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी में सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही है। मैं जानता/जानती हूँ कि किसी भी चरण/उपरांत में मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाय जाने पर मेरी उम्मीदवारी बिना किसी सूचना के रद्द कर दी जाएगी।

स्थान ....
दिनांक ..... आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 एवं पॉक्सो नियम, 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों के लिए दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना:-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद सं०- WP(C)- 1156/2021 "वी द वुमेन ऑफ इंडिया बनाम् भारत संघ एवं अन्य" एवं WP(C)- 427/2022, "बचपन बचाओ आंदोलन बनाम् भारत संघ" में पारित आदेश में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) को राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से विमर्श कर लैंगिक अपराधों से बालक के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के धारा 39 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों के लिए आदर्श दिशा-निर्देश निर्मित करने का निदेश दिया गया। उक्त आदेश के आलोक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा सहायक व्यक्तियों के लिए आदर्श दिशा-निर्देश (Model Guidelines) जारी किया गया है।

बिहार सरकार ने लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 39, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण (पॉक्सो) नियमावली, 2020, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा बिहार किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 की धारा 54 (14), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के तहत पीड़ितों की देखभाल और सहायता के लिए निर्मित केन्द्र प्रायोजित योजना, 2023 के वर्णित प्रावधानों को संकलित एवं संदर्भित कर NCPCR के मॉडल दिशा-निर्देश के आधार पर लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण हेतु सहायक व्यक्तियों के लिए दिशा-निर्देश तैयार किया है।

बाल लैंगिक हिंसा/शोषण से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 एक अधिनियम है, जो 18 वर्ष से कम आयु के बालक को लैंगिक शोषण, हिंसा और बालक संबंधी अश्लील सामग्री (पोर्नोग्राफी) से संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान प्रदान करता है। साथ ही रिपोर्टिंग, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, जाँच और नामित विशेष न्यायालयों के माध्यम से मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए बाल-अनुकूल तंत्र को शामिल करके न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बालकों के हितों की रक्षा करता है।

लैंगिक शोषण या दुर्व्यवहार से पीड़ित बालकों की सहायता करने की जिम्मेदारी पूरे समुदाय को उठाना चाहिए। इसलिए, इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मी पुनर्वास प्रक्रिया को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 39 में स्पष्ट रूप से पीड़ित के लिए सहायक व्यक्तियों, विशेषज्ञों आदि की सहायता उपलब्ध कराने का निदेश देता है।

सहायक व्यक्तियों का मुख्य दायित्व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही के दौरान पॉक्सो वाद अंतर्गत पीड़ितों को न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व एवं उसके समाप्त होने तक उन्हें भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना, पीड़ित बालक को कानूनी प्रणाली से निपटने में मदद करना, उन्हें अपने अपराधियों के खिलाफ प्रभावी ढंग से गवाही देने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना, पीड़ित को उचित पुनर्वास, सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित कराने आदि में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होगा।

पीड़ित बालक को कानूनी/विधिक प्रक्रिया सहित प्रत्येक स्तर पर सुलभ वातावरण उपलब्ध कराने, सहज प्रक्रिया का पालन करने, पॉक्सों अधिनियम की धारा 4 एवं धारा 6 के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रक्रियागत सहयोग, पीड़ित को सभी प्रकार की प्रावधानित सुविधाएँ उपलब्ध कराना तथा पीड़ित के सर्वोतम हित, मान-सम्मान, भेदभाव रहित तथा सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कराने में सहायक व्यक्ति' (Support person) की प्रथम भूमिका होगी।

2. उद्देश्य :- इस दिशा-निर्देश का मुख्य उद्देश्य लैंगिक अपराधों से बालकों का सरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 की धारा 39 के अंतर्गत सहायक व्यक्ति (Support person) के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा जारी दिशा-निर्देश का बिहार राज्य के संदर्भ में सहायक व्यक्ति की भूमिका, उनकी सूचीबद्धता, कार्य-भूमिका, सहायक व्यक्ति के मानदेय का भुगतान, सहायक व्यक्ति की सेवा की समाप्ति, सहायक व्यक्ति को कार्य-संपादन में आने वाली समस्या के निवारण आदि के संबंध में सुलभ स्पष्ट एवं प्रभावी व्यवस्था की जानकारी देना है।

3. संक्षिप्त शीर्षक:-

इस दिशा-निर्देश को "सहायक व्यक्तियों के लिए दिशा-निर्देश, बिहार 2026" कहा जायेगा. जिसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा, जो निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगा।

4. परिभाषाएं :-

क. इस दिशा-निर्देश में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

i. "बालक" से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2 (1) (घ) में परिभाषित बालक अभिप्रेत है;

ii. "बालक का सर्वोत्तम हित" से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (9) में परिभाषित बालक का सर्वोत्तम हित अभिप्रेत है;

iii. "केस वर्कर" से ऐसे पात्रता रखने वाले योग्यताधारी सामाजिक कार्यकर्ता जिसे बाल कल्याण समिति द्वारा पीड़ित बालक को केस हेतु सहायतार्थ मनोनयन किया गया अभिप्रेत है;

iv. "सहायक व्यक्ति (Support Person)" से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 के नियम 2 (1) (च) में परिभाषित सहायक व्यक्ति अभिप्रेत है;

v. "विशेषज्ञ/अतिरिक्त सहायक सेवा" से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण हेतु दुभाषिया, अनुवादक, विशेष शिक्षक और विशेषज्ञ से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 के नियम 5(1) अभिप्रेत है;

vi. "बाल देखरेख एवं संरक्षण संस्थान" से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(21) में परिभाषित बाल देखरेख संस्थान अभिप्रेत है;

vii. "बाल कल्याण समिति" से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 के अन्तर्गत जिला स्तर पर स्थापित बाल कल्याण समिति अभिप्रेत है;

viii. "विशेष न्यायालय" से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-28 के अन्तर्गत स्थापित विशेष न्यायालय अभिप्रेत है;

ix. "पीड़ित" से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में वर्णित अपराधों से पीड़ित (बालक/बालिका) अभिप्रेत हैं;

x. "किशोर न्याय बोर्ड" से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 के अन्तर्गत जिला स्तर पर स्थापित किशोर न्याय बोर्ड अभिप्रेत है;

xi. "अधिनियम" से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 अभिप्रेत है,

xii. "नियमावली" से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियमावली, 2020 अभिप्रेत है;

xiii. "जिला बाल संरक्षण इकाई" से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (26) में परिभाषित जिला बाल संरक्षण इकाई अभिप्रेत है,

xiv. राज्य सरकार से बिहार सरकार अभिप्रेत है;

xv. विभाग से समाज कल्याण विभाग अभिप्रेत है;

ख. इस दिशा-निर्देश में प्रयुक्त सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो परिभाषित नहीं किए गये हैं, उनका वही अर्थ होगा, जो तत्संबंधी अधिनियमों अथवा नियमावली में वर्णित/परिभाषित किये गये हैं।

5. सहायक व्यक्ति की आवश्यकता और सूचीबद्धता (Empanelment):-

I. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 में उपबन्धित लैंगिक अपराध/हमला/दुर्व्यहार से पीड़ित को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियमावली, 2020 के नियम-5 में उपबन्धित प्रावधान के अनुरूप पीड़ित को सहायक व्यक्ति की सहायता अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यदि पीड़ित या उनके कानूनी अभिभावक के द्वारा सहायक व्यक्ति की सेवा लेने से इंकार करते है, उस स्थिति में इस मार्ग-दर्शिका की कंडिका 14 (ix) का अनुपालन किया जायेगा।

ii. सहायक व्यक्तियों को मामला सौंपने का निर्णय लेते समय यथासंभव पीड़ित बालक के लिंग, समुदाय, वर्ग इत्यादि का ख्याल रखा जाएगा, जिससे कि सहायक व्यक्ति के साथ बालक और उसका परिवार सहज महसूस करे। उदाहरण के लिए, यदि पीडित बालिका है तो महिला सहायक व्यक्ति को उसका मामला सौंपा जाना श्रेयष्कर होगा। उसी प्रकार यदि पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, तो यह संभव है कि पीड़ित के परिजन अपने समुदाय/वर्ग के सहायक व्यक्ति को उसका मामला सौंपें जानें का अनुरोध करें।

6. सहायक व्यक्ति की सूचीबद्धता (Empanelment) के लिए रिक्ति:-

i. सहायक व्यक्ति की सूचीबद्धता के लिए रिक्तियों का आकलन लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) 2012 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले मामलों की संख्या के आधार पर किया जायेगा। इसके लिए संबंधित जिले में विगत तीन माह में प्राप्त होने वाले मामलों के संख्या का औसत x 12 से अगले 01 वर्ष के संभावित मामलों की गणना की जायेगी। इस गणना के 10 प्रतिशत की संख्या का आकलन किया जायेगा। यदि यह आकलन 5 के गुणक में नहीं है तो अगला 5 के गुणक की संख्या को रिक्ति माना जायेगा।

उदाहरणस्वरूप, यदि किसी जिले में विगत तीन माह में प्राप्त होने वाले मामलों का औसत 26 है, तो अगले 01 वर्ष के संभावित मामलों की 26X12 = 312 होगा। इसका 10 प्रतिशत 31.2 होगा, जिसका निकटतम अगला 5 का गुणक 35 होगा। इसलिए इस जिले में सहायक व्यक्ति की सूचीबद्धता के लिए रिक्ति 35 होगी अर्थात 5 के गुणक में सूचीबद्धता हेतु रिक्ति मानी जायेगी।

ii. पॉक्सो वाद अंतर्गत पीड़ित व्यक्तियों के सामाजिक वर्ग की समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आती है कि कुछ खास सामाजिक वर्ग के अंतर्गत पीड़ितों की संख्या अधिक है। फलस्वरूप पीड़ितों की सहजता हेतु सहायक व्यक्तियों की सूचीवद्धता में 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति, 20 प्रतिशत पिछडा/अतिपिछडा एवं 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे, इसके अंतर्गत ही इन सभी वर्गों/कैटेगरी में 40 प्रतिशत महिलाओं को सूचीबद्ध किया जायेगा। सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई रिक्तियों की गणना कर जिला पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

iii. इसके अलावा प्रत्येक वर्ग/कैटेगरी हेतु निर्धारित कुल रिक्तियों का 20 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची के रूप में होगी। मामलों की संख्या अधिक होने अथवा सहायक व्यक्तियों के पैनल में से किसी सहायक व्यक्ति के कार्य से अलग होने की स्थिति में एवं अति अपरिहार्य स्थिति में ही प्रतीक्षा सूची से किसी सहायक व्यक्ति की सेवा ली जा सकेगी।

7. सहायक व्यक्ति के लिए पात्रता:-

i. भारत का नागरिक होना चाहिए।

ii. संबंधित जिले का निवासी होना चाहिए।

iii. अभ्यर्थी का पूर्ववर्ती इतिहास स्वच्छ होना चाहिए। इनके विरूद्ध भारत में कही भी अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं रहना चाहिए। वे कभी भी नैतिक दुराचार (Moral Turpitude) दोषी नहीं हों। इस आशय का उन्हें शपथ-पत्र समर्पित करना होगा।

iv. बाल संरक्षण अथवा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी संस्थान से निष्कासित अथवा ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।

(क) शैक्षणिक योग्यता:-

सामाजिक कार्य(MSW)/समाज शास्त्र/मनोविज्ञान/बाल विकास या विधि में स्नातकोत्तर

या,

बाल अधिकार/परामर्शन में डिप्लोमा के साथ किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री के साथ-साथ तीन वर्ष का अनुभव।

(ख) कार्यानुभव:-

बाल अधिकार/बाल संरक्षण/विधिक कार्य/सामाजिक-कार्य/बाल मनोविज्ञान परामर्शदाता/समाजशास्त्र/ मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का वांछनीय कार्यानुभव। जिला विधिक सेवा प्राधिकार/ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार/ जिला बाल संरक्षण इकाई/बाल कल्याण समिति/ किशोर न्याय बोर्ड/ पॉक्सो न्यायालय अथवा चाईल्ड लाईन/चाईल्ड हेल्पलाईन सेवाओं में कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ग) आयु:-

सहायक व्यक्तियों के लिए आयु सीमा वही होगी जो राज्य में बाल कल्याण समिति के सदस्य के चयन हेतु निर्धारित है।

8. विज्ञापन एवं शॉर्ट-लिस्टिंग:-जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सहायक व्यक्तियों के पैनल के निर्माण के उद्देश्य से आवेदन आमंत्रित करने के लिए जिला की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ प्रमुख समाचार पत्र में जिला स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।

तत्पश्चात जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्राप्त आवेदनों की जाँच एवं उम्मीदवारों की शॉर्ट-लिस्टिंग की जायेगी। मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र उम्मीदवारों को इस दिशा निर्देश के अंतर्गत गठित चयन समिति के समक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। आवेदनों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में रिक्ति से कोटिवार दस गुणा आवेदकों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

9. चयन समिति :- व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करने के उद्देश्य से चयन समिति की संरचना निम्न प्रकार से होगी:-

i. अध्यक्ष- वरीयतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- (विशेष न्यायालय पॉक्सो)।
ii. सदस्य- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार।
iii. सदस्य-जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिला दंडाधिकारी से अन्यून हो।
iv. सदस्य- किसी सरकारी महाविद्यालय के मनोविज्ञानिक/समाजशास्त्र संकाय के विभागाध्यक्ष अथवा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित विषय-विशेषज्ञ।
v. सदस्य-सचिव-सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई।

10. साक्षात्कार:- वांछनीय अर्हता पूरी करने वाले उम्मीदवारों को चयन समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चयन समिति आवेदक की शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव और व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर मूल्यांकन करेगी और सहायक व्यक्तियों

के लिए नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी। इसके साथ ही चयन समिति प्रतीक्षा सूची की भी सिफारिश करेगी।

11. मूल्यांकन:-

i. शैक्षणिक योग्यता: -

क्र०	शैक्षणिक योग्यता	अंक
1	स्नातक	50
2	स्नाकोतर	20
3	P.hd.	10
	कुल	80

ii. साक्षात्कार- अधिकतम- 20 अंक

12. सहायक व्यक्तिओं के पैनल का निर्माण :-

क. चयन समिति द्वारा सहायक व्यक्तियों के पैनल निर्माण एवं प्रतीक्षा सूची के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची चयन समिति के सदस्य सचिव को उपलब्ध करायी जाएगी तत्पश्चात् सदस्य सचिव द्वारा सूचीबद्ध करते हुए सूची का प्रकाशन यथाशीघ्र जिले के अधिकारिक वेबसाईट एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर किया जायेगा।

ख. **पैनल एवं प्रतीक्षा सूची की वैध-अवधि:**-सहायक व्यक्तियों को 02 वर्ष की अवधि के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा, जिनके कार्यों का समीक्षा वार्षिक आधार पर चयन समिति के द्वारा करते हुए सूचीबद्ध सहायक व्यक्तिओं के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। पूर्व से सूचीवद्ध सहायक व्यक्ति के 02 वर्ष की अवधी पूर्ण होने के 06 माह पूर्व ही नये पैनल एवं प्रतीक्षा सूची के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंम्भ कर दी जायेगी, जिससे पूर्व से सूचीवद्ध सहायक व्यक्ति का 02 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व तैयार कर लिया जायेगा। नये पैनल एवं प्रतीक्षा सूची हेतु पूर्व से सूचीबद्ध एवं कार्यरत सहायक व्यक्ति भी आवेदन कर सकतें हैं।

ग. **सहायक व्यक्तियों का पृष्ठभूमि सत्यापन:-** सहायक व्यक्ति की सूचीबद्वता का प्रकाशन जिले के अधिकारिक वेबसाईट एवं कार्यालय पट्ट पर सदस्य सचिव द्वारा

करने के पश्चात् सूचीबद्ध सहायक व्यक्तिओं के अपराधिक चरित्र का सत्यापन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।

13. सहायक व्यक्तियों का सूची:-

i. सूचीबद्ध सहायक व्यक्तियों की सूची जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा बाल कल्याण समिति (CWC) कों उपलब्ध करायी जायेंगी।

ii. बाल कल्याण समिति द्वारा सहायक व्यक्तियों को आवंटित किये गये मामले की सूची संपूर्ण दस्तावेजों के साथ प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक निश्चित रूप से जिला बाल संरक्षण इकाई को उपलब्ध करायेगी।

iii. बाल कल्याण समिति एनसीपीसीआर के "POCSO Tracking Portal" को अद्यतन करेगी एवं जिला बाल संरक्षण इकाई इस पोर्टल के अद्यतन करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। इस कार्य के लिए अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति एवं सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति होंगे।

iv. समाज कल्याण निदेशालय द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति के इन कर्तव्यों का नियमित अंतराल पर अनुश्रवण किया जाएगा।

14. सहायक व्यक्ति को मामला सौंपने की प्रक्रिया :-

कोई भी व्यक्ति, जिसे संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा सहायक व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध और चयनित किया गया है, इसकी सूची बाल कल्याण समिति को उपलब्ध करायी जायेगी। बाल कल्याण समिति द्वारा इस सूची में सूचीबद्ध किसी सहायक व्यक्ति को मामला सौंपा जाएंगा। ऐसा निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा-

i. लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण नियम, 2020 के नियम 4 के उप-नियम (7) के अनुसार, पीड़ित बालक को सहायता प्रदान करने के लिए सहायक व्यक्ति को संलग्न प्रपत्र "ग" के अनुसार मामला विशेष के लिए बाल कल्याण समिति द्वारा नामित किया जायेगा।

ii. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत किसी लैंगिक हिंसा से पीड़ित बालक के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने अथवा अधिनियम के तहत् देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत होने के 07 कार्यदिवसों की अवधि में निर्धारित प्रारूप में बाल कल्याण समिति द्वारा सूचीबद्ध सहायक व्यक्ति को पीड़ित के साथ सबंद्ध किये जाने का आदेश जारी किया जायेगा।

iii. बाल कल्याण समिति द्वारा पीड़ित बालक को अनिवार्य रूप से सहायक व्यक्ति की सेवा उपलब्ध करायी जायेगी परन्तु पीड़ित बालक से संबंद्ध किये जाने से पूर्व इस संबंध में

पीड़ित एवं उसके माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति, जिस पर पीड़ित विश्वास करता है, को सूचित किया जायेगा तथा उनकी सहमति प्राप्त की जायेगी।

iv. बाल कल्याण समिति द्वारा पीड़ित के साथ न्यायिक प्रक्रिया के क्रम में भी यदि पीड़ित संबद्ध सहायक व्यक्ति के साथ असहज महसूस करता हो तो पीड़ित के अनुरोध पर उसे हटाते हुए किसी अन्य सूचीबद्ध सहायक व्यक्ति के साथ उसे संबद्ध किया जा सकता है। उसके साथ-साथ अगर पीड़ित किसी भी सहायक व्यक्ति की सेवा बिना किसी बाहरी या अनुचित प्रभाव में प्राप्त करना नहीं चाहता हो तो बाल कल्याण समिति को आवेदन कर सकता है। बाल कल्याण समिति अपने स्तर पर यह सम्पुष्ट होने के उपरांत की पीड़ित ने बिना किसी अनुचित या बाहरी दबाव के सेवा प्राप्त करने से मना किया है तो पीड़ित का आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। सहायक व्यक्ति को संबंद्ध किये जाने के आदेश की प्रति 24 घंटे के अंदर जिला बाल संरक्षण इकाई एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), विशेष न्यायालय (पॉक्सो) न्यायालय, संबंधित पुलिस थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी एवं बाल देखरेख संस्थान को प्रेषित की जायेगी।

v. बाल कल्याण समिति द्वारा संबंद्ध किये गये सहायक व्यक्ति को संबंधित मामले के संबंध में तत्समय तक की संपूर्ण कार्यवाही की जानकारी प्रदान की जायेगी।

vi. बाल कल्याण समिति सहायक व्यक्तियों को मामले सौंपते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगी:-

क. बालक की शिक्षा, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं, भाषा, दिव्यांगता, परिवारिक स्थिति, परिवार की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठ-भूमि, जोखिम, कानूनी सहायता और जागरूकता के साथ-साथ निवास से न्यायालय, निवास से अस्पताल आदि की दूरी।

ख. आवश्यकतानुसार बाल कल्याण समिति के अनुरोध पर जिला पदाधिकारी के आदेश से सहायक व्यक्ति को अधिकतम 15 वादों से सम्बद्ध किया जा सकता है, बशर्ते कि उससे न्याय प्रभावित नहीं हो।

vii. जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), द्वारा आपातकालीन नियुक्ति-यदि प्राथमिकी दर्ज होने के सात दिनों के भीतर सहायक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होती है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) को एक योग्य/अर्हताधारी सहायक व्यक्ति नियुक्त करने की शक्ति प्रदत्त रहेगी।

viii. सहायक व्यक्ति द्वारा अपना कार्य प्रारंभ करने के पहलेयह घोषणा करनी होगी कि उनका संबंधित पीड़ित या अन्य किसी हितधारक से किसी प्रकार का विवाद/संघर्ष नहीं है। यदि कालांतर में घोषणा गलत साबित हुआ तो, उक्त व्यक्ति को सहायक व्यक्ति के कार्य से हटाया जा सकता है, तथा उसके विरूद्ध

वाद भी दायर किया जा सकता है। अगर पीडित या उनके अभिभावक सहायक व्यक्ति की सेवा लेने से इंकार करना चाहते है, इस स्थिति में पीडित या उनके अभिभावक की जिला बाल संरक्षण इकाई के परामर्शी के द्वारा परामर्शन किया जायेगा। इसके पश्चात भी, यदि अभिभावक/पीडित सहायक व्यक्ति की सेवा लेने से इंकार करते है, इस स्थिति में इस अस्वीकृति हेतु, इन्हें विहित प्रपत्र में प्रविष्टि के साथ आवेदन समर्पित करना होगा। इस प्रकार की अस्वीकृति के लिए मौखिक अनुरोध अनुमान्य नहीं होगा।

सहायक व्यक्ति की सेवा अस्वीकृति के उपरांत बाल कल्याण समिति द्वारा 24 घंटे के अंदर परामर्शी (Counsellor) के No-Coercion Certificate के साथ संलग्न कर इसकी प्रति विशेष न्यायालय (पॉक्सो), विशेष लोक अभियोजक (SPP) एवं पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया जायेगा।

विशेष न्यायालय इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने के उपरांत पीडित के माता/पिता अथवा अभिभावक को समन जारी कर स्वयं संतुष्ट हो लेगें कि सहायक व्यक्ति की सहायता लेने से अस्वीकृति स्वैच्छिक है, या किसी बाहरी दबाव के कारण सहायक व्यक्ति से सेवा लेने से इंकार किया जा रहा है।

15. सहायक व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें एवं उसके कर्तव्य :-

सहायक व्यक्ति द्वारा मामला सौपें जाने से विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा मामले का निस्तारण संबंधी दस्तावेज प्राप्त हाने के उपरांत तक पीड़ित बालक को सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु समन्वय की जायेगी। सहायक व्यक्ति लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियमावली, 2020 अंर्तगत नियम 4(9),(12), (13), (14) और (15) में उल्लेखित भूमिका और दायित्वों का निर्वहण करेगा। उनके निम्नलिखित विशेष कर्तव्य हैं-

i. पीड़ित एवं उसके अभिभावक (पीड़ित जिस पर विश्वास करता है, सहित) को-

क. सहायक व्यक्ति की उपलब्धता एवं सेवाओं से अवगत कराना।

ख. उपलब्ध आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता से अवगत कराना।

ग. बयान, जाँच और परीक्षण के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना।

घ. अधिनियम एवं अन्य विधियों के अधीन उपलब्ध हकदारियों, सेवाओं एवं केस में विभिन्न स्तर पर होने वाली कार्यवाही, उसकी प्रगति एवं अद्यतन स्थिति से अवगत कराना।

ङ. बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना, एस.टी./एस.सी. अधिनियम एवं अन्य माध्यमों से प्रतिकर/राहत उपलब्ध कराने हेतु आवेदन कराना।

ii. पीड़ित बालक को विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड परिसर एवं कार्य प्रणाली से परिचित कराना तथा न्यायिक कार्यवाही/ विचारण विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड, पुलिस थाना, बाल कल्याण समिति एवं अन्य प्राधिकरणों में अनुसंधान/कार्यवाही/ जाँच/ विचारण/चिकित्सा परीक्षण के दौरान बालक के साथ मौजूद रहना। मामले से संबंधित प्राधिकारियों/ एजेंसियों के संपर्क में रहना तथा उपस्थिति के संबंध में संभावित निर्धारित दिवसों की जानकारी से बालक एवं उसके अभिभावक को अवगत कराना।

iii. पीड़ित के लिये जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से आवश्यकतानुसार परामर्शदाता, दुभाषियो, विशेष शिक्षक की सेवाओं की उपलब्धता हेतु समन्वय सुनिश्चित करना।

iv. पीड़ित को आवश्यकतानुसार उसकी स्वास्थ्य, शिक्षा, भावनात्मक, कौशल प्रशिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण, वित्तीय तथा अन्य अपेक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति करवाने में संबंधित पदाधिकारियों/कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करना

v. पीड़ित के लिये निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार से समन्वय स्थापित करना।

vi. यदि पीड़ित किन्हीं कारणों से विशेष न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता है या असहजता महसूस करता है, तो ऑडियों-विज्यूअल/विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बयान/ साक्ष्य दर्ज कराने हेतु विशेष न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु समन्वय स्थापित करना।

vii. संदिग्ध या अपराधी से खतरा होने की स्थिति में पीड़ित की सुरक्षा की व्यवस्था के लिये पुलिस थाने से समन्वय स्थापित करना। पीड़ित एवं उसके परिवार को गवाह संरक्षण योजना के तहत पर्याप्त सुरक्षा दिलवाने में सहयोग प्रदान करना।

viii. मामले में विचारण के पश्चात् विशेष न्यायालय/ किशोर न्याय बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय की व्याख्या एवं उपलब्ध विधिक विकल्पों से पीड़ित या उसके अभिभावक को अवगत कराना।

ix. किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा पीड़ित से अभद्रता से बातचीत करने अथवा पीड़ित साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार होने की सूचना विशेष न्यायालय, बाल कल्याण समिति एवं पुलिस थाने को उपलब्ध कराना।

x. पीड़ित की जरूरत एवं केस की परिस्थिति के अनुरूप पीड़ित के हित में जिला बाल संरक्षण इकाई एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति, पुलिस, विशेष

न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड एवं विशेष लोक अभियोजक अथवा पीड़ित के अधिवक्ता के साथ समन्वय स्थापित कर आपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करना।

xi. यदि घटना विद्यालय में घटी हो तो बच्चे के सर्वोत्तम हित में आवश्यक होने पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बाल कल्याण समिति से आदेश प्राप्त कर विद्यालय बदलवाना और पीड़ित का विद्यालय में अंतिम उपस्थिति रिकॉर्ड प्राप्त करना।

xii. किसी भी प्रकार के खतरे, दबाव या उत्पीड़न की स्थिति का आकलन करना और आवश्यकतानुसार पीड़ित/गवाह संरक्षण सुनिश्चित करवाना।

xiii. यह आकलन करना कि क्या बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है और यदि बच्चे को बाल देखभाल संस्थानों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए तो बाल कल्याण समिति से लिखित अनुरोध करना।

xiv. पीड़ित बच्चे के घर अथवा तत्कालिक निवास स्थान पर नियमित रूप से भ्रमण कर बात-चीत करना।

xv. बच्चे की विकलांगता की स्थिति में उसके किसी भी विशिष्ट आवश्यकता की पहचान कर उसके निदान हेतु संबंधित विभागों से समन्वय करना।

xvi. यदि गवाह मुकर जाता है तो मासिक रिपोर्ट में बाल कल्याण समिति एवं संबंधित न्यायालय को सूचित करना होगा, जिसे बाद में अभियोजन पक्ष और संबंधित अदालत के साथ साझा किया जाएगा। ऐसे मामलों की सूचना न देने पर संबंधित सहायक व्यक्ति के खिलाफ जांच की जाएगी।

xvii. बयान दर्ज करने, चिकित्सा परीक्षण और मुकदमे के दौरान बच्चे के साथ रहना। पीड़ित बच्चे को अदालत तक ले जाना।

xviii. जिस दिन से सहायक व्यक्ति को मामला सौंपा जाता है, उस दिन से यह उसका कर्तव्य है कि वह बच्चे को चिकित्सा सहायता और उपचार, सदमे से उबरने के लिए परामर्श प्रदान करे, और पीड़ित को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से उपलब्ध कानूनी सहायता और चिकित्सा एवं अन्य खर्चों के लिए अंतरिम मुआवजे के प्रावधान के बारे में सूचित करे।

xix. माता-पिता/परिवार के सहयोग से वंचित बच्चे के लिए, सहायक व्यक्ति सुरक्षा, पुनर्वास, पुनर्एकीकरण, उपचार और न्याय तक पहुंच और सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके लिए वह बाल कल्याण समिति और संबंधित कार्यालयों से जानकारी प्राप्त कर पीडित बालक एवं उसके परिजन को अवगत करायेगा।

xx. बच्चे और परिवार को आपराधिक अभियोग में शामिल प्रक्रियात्मक चरणों के बारे में तुरंत जानकारी प्रदान करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:-

क. सार्वजनिक और निजी आपातकालीन एवं संकट कालीन सेवाओं की उपलब्धता

ख. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अनुसार यदि आवश्यक हो तो पैनल अधिवक्ता नामित कराना।

ग. आपराधिक अभियोजन में शामिल प्रक्रियात्मक चरण

घ. पीड़ित क्षतिपूर्ति लाभों की उपलब्धता

ङ. अपराध की जांच की स्थिति के बारे में, पीड़ित को सूचित करना जितना उचित हो और इस हद तक कि इससे जांच में कोई बाधा न आए, जानकारी दी जाएगी।

च. संदिग्ध अपराधी की गिरफ्तारी

छ. किसी संदिग्ध अपराधी के खिलाफ आरोप दायर करना

ज. अदालती कार्यवाही का वह कार्यक्रम जिसमें बच्चे को या तो उपस्थित होना अनिवार्य है या उपस्थित होने का उसे अधिकार है

झ. किसी अपराधी या संदिग्ध अपराधी की जमानत, रिहाई या हिरासत की स्थिति

ञ. मुकदमे के बाद फैसला एवं अपराधी को दी गई सजा से अवगत कराना।

ट. बच्चे की सेहत के बारे में जिसमें शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य शामिल है,समय-समय पर बाल कल्याण समिति को सूचित करना।

ठ. गंभीर मामलों में यदि आवश्यक हो तो सहायक व्यक्ति बच्चे और परिवार को वैकल्पिक आवास खोजने में सहायता करेगा।

xxi. निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रह रहित रहना तथा लैंगिक हिंसा/दुर्व्यवहार से पीड़ित बालक के साथ बाल मित्रवत व्यवहार/संवाद स्थापित करना ।

xxii. पीड़ित की निजता एवं मामले की गोपनीयता को प्रत्येक स्तर पर संरक्षित रखना तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 132 (1) (2) के साथ पठित धारा 132 (3) के अधीन गोपनीयता के नियमों से बाध्य रहना।

xxiii. यदि पीड़ित बालिका गर्भवती है, तो स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे अस्पतालों से जोड़ना। यदि पीड़ित बालक लैंगिक संचारित संक्रमणों से संक्रमित है या एच०आई०वी० पॉजिटिव हो गया है, तो उसे आवश्यक विशेषज्ञता वाली सेवाओं और संगठनों से जोड़ना।

xxiv. बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार मामले में बालक के कल्याण एवं सकुशलता के लिये अन्य प्रासंगिक कार्य संपादित करना।

xxv. बालक एवं उसके मामले से संबंधित कोई भी दस्तावेज बालक एवं उसके अभिभावक की सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति/ प्राधिकरण के साथ साझा नहीं करना। साथ ही किसी संदिग्ध आरोपी/ अभियुक्त पक्ष के साथ किसी प्रकार का कोई संवाद/तालमेल नहीं रखना।

xxvi. जब तक मामले के लिए आवश्यक न हो, बालक/परिवार से व्यक्तिगत जानकारी नहीं लेना। किसी अन्य हितधारक से धन, उपहार, पारिश्रमिक आदि स्वीकार नहीं करना या मांग नहीं करना।

xxvii. एनसीपीसीआर के "पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल" पर उसे सौंपे गए प्रत्येक मामले की अद्यतन जानकारी अपलोड करना।

xxviii. सहायक व्यक्ति की अतिरिक्त भूमिका-

क. बालक और परिवार को परामर्श प्रदान करना।

ख. बालक के शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

ग. नये वातावरण में परिवार और बालक को स्थानांतरित करने और बसाने में मदद करना।

घ. स्थानांतरण प्रमाण पत्र की व्यवस्था करना।

xxix. समाज कल्याण निदेशालय/समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायक व्यक्तियों के लिए निर्गत निदेशों का अनुपालन करना।

16. सहायक व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया :-

i. बाल कल्याण समिति द्वारा निम्न परिस्थितियों में सहायक व्यक्ति को हटाया जा सकेगाः

- सहायक व्यक्ति के द्वारा दिशा-निदेर्श में वर्णित अर्हताओं को छिपाने/किसी बाल अपराध में लिप्त होने की सूचना मिलने पर या लिप्त पाये जाने की स्थिति में।
- सहायक व्यक्ति द्वारा किसी बालक के साथ दुर्व्यवहार या हिंसा करने की स्थिति में।
- सहायक व्यक्ति द्वारा अपनी भूमिका का निर्वहन करने में असफल रहने की स्थिति में, अथवा,

- उसके द्वारा बालक के मामले में प्रतिकूल प्रभाव डालने तथा प्रतिकूल हस्तक्षेप करने की स्थिति में।

ii. किसी सहायक व्यक्ति के विरूद्ध उपरोक्त तथ्य पाये जाने की स्थिति में बाल कल्याण समिति द्वारा सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा। उक्त प्रतिवेदन पर सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ जिला पदाधिकारी को निर्णय हेतु उपस्थापित करेंगे। सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जिला पदाधिकारी के निर्णय से बाल कल्याण समिति को अविलम्ब अवगत कराया जायेगा।

iii. इसके पश्चात बाल कल्याण समिति द्वारा मामले में सहायक व्यक्ति के हटाने की सूचना संबंधित पुलिस थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, संबंधित विशेष न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित की जायेगी।

iv. बाल कल्याण समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित पुलिस थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा सहायक व्यक्ति के हटाने संबंधी आदेश की सूचना 24 घंटे के अंदर संबधित विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित कर दी गयी है।

v. सहायक व्यक्तियों को हटाये जाने के संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय के संबंध में 15 दिनों के भीतर निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को अपील की जा सकती है किंतु अपील के निस्तारण तक ऐसे सहायक व्यक्ति अपने कार्य से विरत रहेंगे।

17. सहायक व्यक्ति के कार्यों की रिर्पोटिंग एवं पर्यवेक्षण :-

i. सहायक व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायक सेवाओं के संबंध में निर्धारित प्रारूप में मासिक स्तर पर किये गये कार्यों की प्रगति रिपोर्ट संबंधित बाल कल्याण समिति तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के बाल संरक्षण पदाधिकारी (CPO-NIC) को उपलब्ध कराई जायेगी, तत्पश्चात् जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी (CPO-NIC) द्वारा सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जायेगी।

ii. सहायक व्यक्तियों द्वारा मासिक स्तर पर उपलब्ध करायी गयी प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर जिला बाल संरक्षण इकाई के बाल संरक्षण पदाधिकारी (CPO-NIC) द्वारा पीड़ित के पुनर्वासन एवं सामाजिक एकीकरण हेतु Sponsorship/ Foster care/ After care से आच्छादित करने के उददेश्य से (After care की स्थिति में पीड़ित की सहमति प्राप्त करने के पश्चात्) नियमानुसार योजना अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

iii. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति द्वारा पीड़ित एवं उसके अभिभावक को मासिक अंतराल पर सहायक व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के संबंध में उनकी राय प्राप्त की जायेगी।

iv. सहायक व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन समय-समय पर बाल कल्याण समिति द्वारा किया जायेगा परंतु मानदेय का भुगतान निम्न 03 चरणों में किया जायेगा।

क. विधिवत केस प्राप्त करने, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने, विशेष न्यायालय /किशोर न्याय बोर्ड में बालक के बयान लेखबद्ध होने, बालक का आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य जाँच और परीक्षण, प्रपत्र- "ख" में प्रतिवेदन प्राप्त होने।

ख. चार्जशीट फाइल होने तथा वाद की सुनवाई (Trial) प्रारंभ होने से पूर्ण होने तक।

ग. विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रकरण निस्तारण संबंधी दस्तावेज प्राप्त होने के उपरांत।

18. पोक्सो ट्रैकिंग पोर्टल:-

बाल लैंगिक शोषण के पीड़ितों के समुचित पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए सहायक व्यक्ति को NCPCR के पोक्सो ट्रैकिंग पोर्टल पर पीड़ितों की वास्तविक जानकारी ससमय अद्यतन रखनी होगी, जिससे प्रत्येक हितधारक की समग्र जवाबदेही सुनिश्चित होगी और पीड़ितों को उनके व्यक्तिगत मामलों के अनुसार देखभाल और सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

19. सहायक व्यक्तियों का परिचयात्मक प्रशिक्षण :-

समाज कल्याण निदेशालय द्वारा नव सूचीबद्ध सहायक व्यक्तियों को निम्नलिखित विषयों में प्रशिक्षित किया जायेगा-

i. सहायक व्यक्ति का अनिवार्य रूप से पुनश्चर्या प्रशिक्षण,

ii. POCSO अधिनियम, नियमों के प्रावधान,

iii. POCSO मामलों में सहायक व्यक्ति के रूप में विशिष्ट भूमिकाएँ और जिम्मेदारियों,

iv. मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा की समझ, और क्या करें और क्या न करें के साथ बुनियादी परामर्श,

v. पीड़ित और परिवार के अधिकारों और हकों को समझना,

vi. सहायक व्यक्ति के अधिकार,

vii. पीड़ित परिवार की पहचान उजागर किए बिना POCSO मामलों में सोशल मीडिया और मीडिया स्पॉटलाइट सहित मीडिया कर्मियों से कैसे निपटना है,

viii. बाल पोर्नोग्राफी से जुड़े मामलों में किए जाने वाले उपायों को समझना,

क. पीड़ित/परिवार को धमकी, जबरदस्ती या बल का सामना करने की स्थिति से निपटना,

ख. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनिमय, 2015 (समय-समय पर संशोधित), बिहार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 (समय-समय पर संशोधित), एम०टी०पी० एक्ट, 2021 एवं POCSO अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामले की न्यायिक प्रक्रिया, इत्यादि।

ग. पीड़ित प्रतिकर योजना, POCSO अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत प्रावधानित मुआवजा तथा ऐसे पीडित बालकों एवं उनके परिवारजनों के लिए संभावित विभिन्न योजनाओं/लाभों के संबंध में अवगत कराना।

20. सहायक व्यक्तियों की चुनौतियों का समाधान:-

सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई सहायक व्यक्तियों के कार्यों में उत्पन्न होने वाले प्रशासनिक अथवा विधि व्यवस्था इत्यादि संबंधी चुनौतियों का विभिन्न कार्यालयों एवं संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय कर समाधान करायेंगे। सभी सहायक व्यक्ति सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे।

21. सहायक व्यक्ति का नोडल कार्यालय:-सहायक व्यक्ति के लिए नोडल कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई होगा।

22. सहायक व्यक्तियों के लिए पारिश्रमिकी एवं वित्तीय प्रावधान:-

सहायक व्यक्तियों (Support person) को आवंटित या संबंद्ध प्रति वाद (Case) हेतु बाल कल्याण समिति द्वारा प्रति वाद की दर से पारिश्रमिक (Remuneration) का भुगतान किये जाने वाली राशि का किस्तवार विवरणी:-

सहायक व्यक्तियों (Support person) को पारिश्रमिक (Remuneration) का भुगतान किये जाने के चरण (Stages):-

क्र०सं०	कुल राशि	सहायक व्यक्तियों (Support person) को बाल कल्याण समिति द्वारा आवंटित प्रति मामला की दर से पारिश्रमिकी का भुगतान किये जाने वाली राशि का किस्तवार विवरणी	सहायक व्यक्तियों (Support person) को पारिश्रमिकी का भुगतान किये जाने की शर्तें
1	सहायक व्यक्तियों (Support person) को अधिकतम प्रति मामला 9000/-	3000/- (तीन हजार) रूपये मात्र का भुगतान किया जायेगा।	प्रथम किस्त मानक संचालन प्रक्रिया की कंडिका (17iv. क) की प्रक्रिया पूर्ण होने पर बाल कल्याण समिति से सत्यापित प्रतिवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई में प्राप्त होने के उपरांत।
2		3000/- (तीन हजार) रूपये मात्र का भुगतान किया जायेगा।	द्वितीय किस्त मानक संचालन प्रक्रिया की कंडिका (17iv. ख) की प्रक्रिया पूर्ण होने पर बाल कल्याण समिति से सत्यापित प्रतिवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई में प्राप्त होने के उपरांत।
3		3000/- (तीन हजार) रूपये मात्र का भुगतान किया जायेगा।	तृतीय किस्त मानक संचालन प्रक्रिया की कंडिका (17iv. ग) की प्रक्रिया पूर्ण होने पर बाल कल्याण समिति से सत्यापित प्रतिवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई में प्राप्त होने के उपरांत।

23. अनुवर्तन/संचालन/समीक्षा:-

i. दिशा-निर्देश के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं जिला बाल संरक्षण इकाई को बजट आंवटन की कार्यवाही निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

ii. दिशा-निर्देश के क्रियान्वयन की निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय द्वारा त्रैमासिक स्तर पर समीक्षा की जायेगी।

iii. जिले में जिला पदाधिकारी द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई, DCWPC (District Child Welfare & Protection Committee) तथा अन्य संबंधित के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश के प्रभावी कियान्वयन हेतु बैठक में समीक्षा की जायेगी।

iv. समाज कल्याण निदेशालय/जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सहायक व्यक्तियों के क्षमतावर्धन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

v. एससीपीसीआर दिशा-निर्देश का राज्य स्तरीय निगरानी प्राधिकरण होगा।

vi. दिशा-निर्देश विवेचन एवं संशोधन की शक्तियां समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार में निहित होगी।

24. क्षेत्राधिकार:-

यह दिशा-निर्देश निर्गत तिथि से सम्पूर्ण राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

24/4/2026

(बन्दना प्रेयषी)

सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:-10/विविध पॉक्सो-26/2025- 748 **पटना, दिनांक-** 24-04-2026

प्रतिलिपि:- सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना/ सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/ सभी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बिहार/ सभी वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक, बिहार/ सभी प्रधान सदस्य, किशोर न्याय परिषद, बिहार/ सभी अध्यक्ष एवं सदस्य, बाल कल्याण समिति, बिहार/ सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/4/2026

सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:-10/विविध पॉक्सो-26/2025- 748 **पटना, दिनांक-** 24-04-2026

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग को उक्त दिशा-निर्देश विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/4/2026

सचिव,

समाज कल्याण विभाग।